बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांकः 11 मार्च, 2019

संख्या–1/ पेन0–29/2012–सा0प्र0–3354/कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक–25013/02/2005–AIS-II दिनांक–28.06.2012 से निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली,1958 के नियम–16(3) के अन्तर्गत बिहार संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के सेवा अभिलेख की गहन समीक्षा हेतु गठित समिति निम्नवत् पुनर्गठित की जाती है :–

(i) मुख्य सचिव, बिहार – अध्यक्ष

(ii) श्री अरुण कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी0एच:85), सम्प्रति अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना – सदस्य (बिहार संवर्ग के शीर्ष वेतनमान के पदाधिकारी के रूप में)

(iii) श्री इन्दु शेखर चतुर्वेदी , भा0प्र0से0 (झा:87), सम्प्रति सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची – सदस्य (बिहार संवर्ग से बाहर के शीर्ष वेतनमान के वैसे पदाधिकारी के रूप में जिनका गृह राज्य बिहार नहीं है)

(iv) श्री अमृत लाल मीणा, भा0प्र0से0 (बी0एच:89), सम्प्रति प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना। – सदस्य (बिहार संवर्ग में प्रधान सचिव स्तर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी के रूप में)

(v) प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना – सदस्य सचिव

2. उपर्युक्त समिति बिहार संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की भारत सरकार के दिशा –निर्देश के आलोक में सेवा अभिलेख की गहन समीक्षा कर अपनी अनुशंसा देगी।

3. समिति की अनुशंसा राज्य सरकार के समक्ष रखी जायेगी । तत्पश्चात् राज्य सरकार की अनुशंसा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय को भेजी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11.3.19

(हिमांशु कुमार राय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांकः–1/ पेन0–29/2012–सा0प्र0– 3354 /पटना–15, दिनांकः 11 मार्च, 2019

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई– गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा – आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/अपर सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ निदेशक(सेवायें), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना एवं झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/ प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड ,राँची/ अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/समिति के सभी सदस्यगण/ अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु) /सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–1 एवं प्रशाखा–6) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.3.19

सरकार के संयुक्त सचिव।

20